निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 48 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के माह 01/2014 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10/09/2018 से 12/09/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: Area of Bageshwar
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (+)
2016-17	-	-	-	-	1371000/-	1296086/-	-	-	-	74914
2017-18	-	-	-	-	3547966/-	3546716/-	-	-	-	1250
2018-19	-	-	-	-	3482000/-	2371555/-	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(ii) इकाई का बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है ।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया ।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भागः– 2 ब

प्रस्तरः– 1 ठेकेदार पर नियमानुसार अर्थदण्ड न लगाकर उसे अनुचित लाभ दिया जाना।

अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर के समयवृद्धि से सम्बन्धित पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि बागेश्वर–दोफाड़–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग (किमी0 31 से 74) के बी0एम0/ एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं अपग्रेडिंग निर्माण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता स्तर से एक अनुबन्ध संख्या 03/एस0ई0–बागे0/2013–14, दिनांक 01.03.2014 ठेकेदार हिलवेज कन्सट्रक्षन कम्पनी के साथ गठित किया गया था, जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 01.03.2014 तथा 31.08.2015 थी, अर्थात् कार्य 18 माह में पूर्ण हो जाना चाहिये था, आगे जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी थी। ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु जो कारण दिये गये थे, वे मार्ग पर वाहनों का अधिक आवागमन होना अधिक बर्फवारी होना, अत्यधिक वर्षा होना बताया गया था, जो राज्य में होने वाली सामान्य घटनायें हैं, एवं जिन्हें Force Majeure की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है के सापेक्ष ठेकेदार को 2 वर्ष 5 माह की समयवृद्धि बिना किसी अर्थदण्ड के प्रदान /संस्तुत की गयी थी। ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तानुसार अनुबन्ध /आगणन की धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थदंड लगाया जाना चाहिये था जो कि नहीं लगाया गया ,साथ ही ठेकेदार द्वारा कार्य को माह 12/2017 को अर्थात 29 माह की देरी से पूर्ण किया गया, जिसके कारण कार्य का उद्देश्य देरी से प्राप्त हुआ एवं जनता को भी लाभ समयपूर्वक कहीं प्राप्त नहीं हो सका था। **आगे जांच में यह भी पाया गया की ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद समय वृद्धि का प्रार्थना पत्र दिया गया था जो अपने आप में नियम विरुद्ध है ।**

प्रकरण इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रकरण में मुख्य अभियन्ता स्तर से Force Majeure अत्यधिक वर्षा, अप्रत्याशित मौसम में बदलाव जो कि डामरीकरण के लिये अनुकूल नहीं होने के कारण, डामरीकरण के कार्य में व्यवधान होने के कारण उक्त कार्य में समयवृद्धि दी गयी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जो भी उक्त कारण/**परिस्थितियां** ठेकेदार द्वारा अपने समयवृद्धि के प्रार्थना पत्र में दी गयी हैं, ये राज्य में घटित होने वाली सामान्य परिस्थितियां हैं, जो हर साल घटित होती रहती हैं। इन्हें Force Majeure की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। **साथ ही** अधीक्षण अभियन्ता, **द्वारा उक्त कारणों के आधार पर ही बिना अर्थदंड के ठेकेदार को समयावृद्धि संस्तुत की गयी थी ।**

इस प्रकार ठेकेदार पर नियमानुसार अर्थदण्ड न लगाकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
New Unit		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
New Unit				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

2. **सतत् अनियमितताएः** New Unit

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
1.	**श्री एन. पी. सिंह**	**04/01/2014 से 18/07/2016 तक**
2.	**श्री हरीश पांगती**	**19/07/2016 से 05/08/2016 तक**
3.	**श्री पी. एम. वृषवाल**	**06/08/2016 से अब तक ।**

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।

N.A.

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II